विचार बिन्दु

जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है। –कहावत

पारदर्शिता और सरलीकरण के बिना भ्रष्टाचार की समाप्ति सम्भव नहीं

शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका किसी न किसी सरकारी कार्यालय से काम न पड़ा हो। यह भी सही है कि अधिकांश (या लगभग सभी) का अनुभव सुखद नहीं रहा होगा। प्रतिदिन हम सुनते हैं कि कैसे छोटे से काम के लिए नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण, कलेक्टर कार्यालय, परिवहन विभाग, पुलिस आदि द्वारा उन्हें कितना परेशान और प्रताड़ित किया जाता है। अनेक बार चक्कर लगाने के बाद भी अधिकारियों, कर्मचारियों से मिलने का उनका प्रयास सफल नहीं हो पाता।

हम कुछ उदाहरणों से इस स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से प्रक्रियाओं की जटिलता के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ाने में सहायता मिल रही है। हम जयपुर विकास प्राधिकरण या नगर निगम का ही उदाहरण लें। किसी को कोई भूखंड जयपुर विकास प्रन्यास या नगर निगम से आवंटित हुआ और उसने निर्धारित समय सीमा में मकान नहीं बनाया, तो उसे निरस्त करने का प्रावधान आवंटन के नियमों में ही होता है। इसके बावजूद, वर्षों तक भूखंड खाली रखने पर भी उसे न तो निरस्त किया जाता है, न ही भूखंड का कब्जा नगर निगम या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लिया जाता है। इसी कारण भूखंड में निवेश को प्रोत्साहन मिलता है और जो व्यक्ति वास्तव में भूखंड पर निर्माण करके अपना घर बनाकर रहना चाहते हैं, वे ऐसा करने में असमर्थ हो जाते हैं।

निर्माण के लिए जे डी ए और नगर निगम ने नियम बना रखे हैं। यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में लोग बिना सेट- बेक छोड़े जितनी मंजिला बनाने की अनुमति है, उससे कहीं अधिक बना लेते हैं। यह स्थिति इसीलिए उत्पन्न होती है कि आवश्यकता के अनुसार नियमों को सरल एवं स्पष्ट नहीं बनाया गया। ऐसा नहीं है कि जेडीए अधिकारियों, कर्मचारियों को अवैध निर्माण की जानकारी ना हो। यह सर्वज्ञात है कि निर्माण कार्य प्रारंभ होने के कुछ समय बाद, संबंधित निकाय के निरीक्षक गण भूखंड के स्वामी के पास पहुंच जाते हैं और 'अनौपचारिक समझौता' उनके साथ कर लेते हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वह अपने मकान की छत डलवा लें, ताकि बाद में तोड़ने की स्थिति उत्पन्न ही न हो। सबको पता है कि एक बार पूरा मकान बन जाए तो उसके बाद तोड़ना लगभग असंभव हो जाता है। जो व्यक्ति नियमों की पालना करने के उद्देश्य से निर्माण की अनुमति के लिए आवेदन करता है, वह अनिश्चितकाल तक उसकी प्रतीक्षा करता रहता है। दूसरा व्यक्ति जो नियमों की पालना न करते हुए, उसे धता बताकर, नगर निगम / जे.डी.ए. के कर्मचारी, अधिकारियों को 'सुविधा शुल्क' के बदले अवैध निर्माण की 'सुविधा' प्राप्त कर लेता है। वह निर्माण पूरा करके उसका लाभ प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि निर्माण संबंधी नियम एवं प्रक्रिया की आवश्यक जानकारी स्पष्ट रूप से सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध करा दी जाए ताकि प्रत्येक नागरिक उसी के अनुसार काम कर सके? समस्या तब उत्पन्न होती है जब समान परिस्थिति वाले दो प्रकरणों में से एक, जो नियमानुसार चलना चाहता है, उसे तो रोक कर परेशान किया जाता है और दूसरा जो नियमों की अवहेलना करता है वह लाभ लेता दिखाई देता है। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश नागरिक न चाहते हुए भी अधिकारियों की 'भेंट-पूजा' करने हेतु बाध्य हो जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से नगर निगम और जेडीए के अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए भ्रष्टाचार का अवसर तैयार हो जाता है। पाठकों में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने स्वयं या उनके मिलने वालों ने नगर निगम या जेडीए में कोई भी काम किसी प्रकार का सुविधा शुल्क दिए बिना निकलवा लिया हो।

होना तो यह चाहिए कि जो काम होना है, वह बिना किसी के कहे, निश्चित समय में पूरा कर दिया जाए और यदि कोई कमी है, तो वह काम किसी के भी कहने पर ना हो। जब किसी के कहलाने पर काम हो जाता है तो व्यक्ति 'कहलवाने' पर ही अपना पूरा जोर लगाता है और उसके लिए धनराशि व्यय करने के लिए तत्पर रहता है।

कोई व्यक्ति राशन कार्ड बनवाना चाहे तो उसके लिए कोई तरीका नहीं है। कोई उसे बताने वाला नहीं है कि उसके लिए कहाँ उसे प्रार्थना पत्र देना है और किन दस्तावेजों के आधार पर राशन कार्ड बना दिया जाएगा? कभी यह कहा जाता है कि आजकल राशन कार्ड वितरण का काम बंद किया हुआ है, और कभी ऐसे दस्तावेज मांगे जाते हैं जिन्हें प्राप्त करना संभव ही नहीं होता। योजनाएं लागू करने से पहले उपयुक्त होगा यदि संबंधित जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी सामान्य नागरिक की तरह आवेदन करें। यदि वेबसाइट से, बिना किसी सहायता के, योजना का लाभ प्राप्त कर पाने में वे सफल हो जाएँ तो मानना चाहिए कि उनके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी परेशानी के वांछित लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए उपयुक्त है।

सबसे बड़ी भूमिका तो कानून बनाने वाले अधिकारियों की है जो इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं जिसका 10 लोग 10 प्रकार का मतलब निकाल सकते हैं। क्या हम अपने नियमों की भाषा ऐसी नहीं बना सकते जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़े, उसका एक ही मतलब निकले? ऐसा होने पर, किसी के लिए उनका दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार में लिप्त होने की सम्भावना बहुत कम हो जाएगी।

यहां एक और उदाहरण देना समीचीन होगा। हमारे एक मित्र ने अपने एक फ्लैट का नगरीय विकास कर, नगर निगम के मांगपत्र के अनुसार, कुछ वर्षों पूर्व पूरा चुका दिया था। इसके बावजूद, कुछ दिनों पूर्व उन्हें पुनः एक नया नोटिस मिला कि उनका नगरीय विकास कर बकाया है। उन्हें इसका कारण यह बताया गया कि पहले उनका फ्लैट पीछे की ओर मानते हुए कर की गणना की गई थी जबकि फ्लैट वास्तव में आगे सड़क की तरफ है। क्या पहली बार जब गणना की गई थी तो उन्हें नहीं पता था? मित्र ने जो पैसा जमा कराया था उसे समायोजित करते हुए शेष राशि का नोटिस देने की बात कही तो उनकी बात को नहीं सुना गया। वह नगर निगम के अधिकारियों से मिलने का असफल प्रयास कई बार कर चुके हैं। यह हाल तो उसका है जो ईमानदारी से पूरा कर चुकाना चाहता है। संभव है, कोई एजेंट या बिचौलिया उनसे शीघ्र संपर्क करे और उनसे कोई सुविधा शुल्क लेने का प्रयास करे।

कृषि भूमि पर अवैध आवासीय एवं व्यावसायिक निर्माण होने के अनेक मामले जयपुर में हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने कई बार निर्णय दिया है आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। बड़े-बड़े नगर नियोजक क्या इतनी छोटी सी बात का ध्यान नहीं रख सकते थे कि जहां भी आवासीय कॉलोनी होगी वहां पर विभिन्न स्तरों की व्यावसायिक गतिविधियां चलाने के लिए व्यवस्था करनी होगी? पहले तो आप आवासीय भवन को व्यावसायिक कार्य हेतु परिवर्तन करने की अनुमति नहीं देंगे और कुछ लोग आवश्यकता के दबाव में ऐसा कार्य करना प्रारंभ कर देंगे तो उन्हें टोका भी नहीं जाएगा। स्थिति के गंभीर, विकराल रूप धारण कर लेने पर नगर निगम या जेडीए हाथ खड़े कर लेगा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना भी संभव नहीं है। हमें यह समझना होगा कि भ्रष्टाचार तीन स्तरों का होता है, पहला वह जो उच्चतम स्तर पर बड़ी खरीद, ठेके आदि में होता है जहां पर सरकार के मंत्री, अधिकारी एवं उनका पूरा तंत्र किसी विशेष निजी ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के एवज़ में उनसे बड़ी राशि वसूल करता है। इसमें देने वाला और लेने वाला दोनों ही लाभ की स्थिति में होते हैं, इसलिए इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अलग तरीका अपनाना होगा। दूसरा, होता तो छोटे स्तर पर है, किंतु उसमें में भी नागरिक अपने स्वार्थ के लिए नियमों की अवहेलना करके गलत काम हेतु संबंधित अधिकारी, कर्मचारी से सांठगांठ करके ऐसा करता है। इसे भी रोकना मुश्किल है क्योंकि इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं होती।

इसके अलावा एक भ्रष्टाचार ऐसा भी होता है जो मजबूरी में नागरिक को तो करना पड़ता है। यदि वह नियम और प्रक्रियाओं की पूर्णतया पालन करना भी चाहे तो उसका काम आगे नहीं बढ़ता। सरकारी प्रक्रियाओं की जटिलता और उनका अस्पष्ट होना इसका मुख्य कारण है। लगता है जैसे अस्पष्टता और जटिलता सरकारी कामकाज की पहचान बन गए हों। भारत सरकार के जिन उपक्रमों में इस दिशा में काम हुआ है जैसे रेलवे टिकट बुकिंग, इनकम टैक्स असेसमेंट, पासपोर्ट कार्यालय आदि, वहाँ भ्रष्टाचार अत्यंत कम हुआ है। जहां कर्मचारी और नागरिक के मिलने की अनिवार्यता नहीं हो, वहां भ्रष्टाचार की संभावना अपने आप कम हो जाती है। ऐसा करने में टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका हो सकती है किंतु इसके लिए भी अच्छी नीयत की आवश्यकता तो होगी ही। टेक्नोलॉजी एक साधन है न कि साध्य।

साधारण ईमानदार नागरिक को कष्ट और क्षोभ तब होता है जब वह भ्रष्टाचार के तरीके अपनाने वाले व्यक्ति का काम सुगमता से होता हुआ देखता है और वह पंक्ति में अनिश्चित काल तक इंतजार ही करता रहता है। नियमों की पेचीदगी का लाभ उठाते हुए कर्मचारी, अधिकारी, भ्रष्टाचार के रास्ते निकाल ही लेते हैं।

राजस्थान में इस दिशा में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं के दबाव के कारण कुछ कानून तो बने जैसे, राजकीय सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी का कानून, सुनवाई का कानून आदि, किंतु इन कानूनों की पालना न करने वाले पर क्या कार्रवाई होगी इसकी स्पष्ट व्यवस्था नहीं होने के कारण दोषी अधिकारियों कर्मचारियों को दंडित होते हुए नहीं देखा गया है। राजस्थान सरकार के पास जवाबदेही कानून लंबित है जिस में विलंब करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए उन पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। सरकार अभी तक इस विधेयक को विधानसभा में नहीं लाई है और एवं इसी कारण यह कानून नहीं बन पाया है।

सबसे बड़ी भूमिका तो कानून बनाने वाले अधिकारियों की है जो इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं जिसका 10 लोग 10 प्रकार का मतलब निकाल सकते हैं। क्या हम अपने नियमों की भाषा ऐसी नहीं बना सकते जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़े, उसका एक ही मतलब निकले? ऐसा होने पर, किसी के लिए उनका दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार में लिप्त होने की सम्भावना बहुत कम हो जाएगी। अधिकांश जनसंख्या से अगर हम चाहते हैं कि वह कानून कायदों का पालन करे, तो उसके लिए आवश्यक है कि नियमों को तोड़ने वाले पर पूरी सख्ती से समान रूप से कार्रवाई की जाए। ऐसा करते समय किसी प्रकार का भेदभाव, प्रक्रियाओं की जटिलता का ही कारण परिणाम है।

उदयपुर का एक उदाहरण देना उपयुक्त होगा। उदयपुर झीलों का शहर है और पूरा शहर झीलों के आसपास बसा हुआ है। ऐसी स्थिति में कोई ऐसा कानून अचानक आ जाए जिसके अनुसार झीलों से आधा किलोमीटर की दूरी तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाए तो फिर यह भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला ही होगा। ऐसा कोई प्रतिबंध लगना भी था, तो जब कोई निर्माण नहीं था, उस समय लगाना चाहिए था। जब भूखंड, स्वयं नगर विकास न्यास या नगर निगम ने आवंटित किए हैं और 90 प्रतिशत से अधिक मकान बन चुके हैं तो उन पर रोक लगाना साधारण नागरिक को प्रताड़ित करना ही माना जाएगा। रोचक तथ्य यह है कि बड़े-बड़े पांच सितारा होटलों को तो झील के ठीक किनारे बहुत बड़ा निर्माण कार्य करने की अनुमति स्वयं सरकार द्वारा दी गई है। इस प्रकार प्रभावशाली एवं साधारण व्यक्तियों के बीच में भेदभाव रखा जाएगा तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और साथ ही लोगों में असंतोष भी।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यदि कानून, नियम और प्रक्रियाएं व्यवहारिक, सरल, स्पष्ट हों, सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार हो तथा नागरिक भी संयम बरतते हुए अन्य से पहले अपना काम करवाने का लोभ नहीं रखें तो भ्रष्टाचार पनपने की सम्भावना स्वतः कम हो जाएगी।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

नंदीश्वर द्वीप के अकृत्रिम जिन मंदिरों की पूजा का पर्व है अष्टानिका पर्व

सिद्धचक्र विधान का आयोजन 26 जून से 3 जुलाई तक होगा

भागचंद जैन मित्रपुरा

जन धम का अष्टाहका पव अथात् 8 दिन तक मनाए जाने वाला पर्व। यह वर्ष में तीन बार कार्तिक, फाल्गुन एवं आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक आठ दिन के लिए मनाया जाता है।

क्यों मनाया जाता है ?

सौधर्म इंद्र अपने इंद्र परिवार के साथ नंदीश्वर द्वीप जो आठवां द्वीप है, जिसमे अनादि, अनंतकालीन 52 अकृत्रिम, जो कि किसी के द्वारा बनाए नहीं गए है एवं ना ही कभी मिटेंगे, जिन चैत्यालय है, में पूजन करके हर्षित होते है।

इसी क्रम का अनुसरण करने की भावनानुरुप हम स्वयं में इंद्र की स्थापना करते हुए स्वयं को इंद्र मानकर, देवलोक जैसी शक्ति का आभास कर जिन मंदिरों में पूजा करते है।

किसकी आराधना की जाती है?

इस दौरान सिद्धों की आराधना करते हुए आठ दिनों का सिद्ध चक्र विधान का आयोजन करते है। सिद्ध चक्र विधान मंडल में प्रथम दिन 8, दूसरे दिन 16, तीसरे दिन 32, चौथे दिन 64, पंचम दिवस 128, छठे दिन 256, सातवे दिन 512 एवं आठवें दिन 1024 अष्ट द्रव्य के अर्ध समर्पित किए जाते है। इस तरह कुल पर्व के इन दिनों में नंदीश्वर द्वीप की भी पूजा कर सकते है। अष्टान्हिका पर्व की शुरुआत मैना सुंदरी द्वारा अपने पति श्रीपाल के कुष्ठ रोग निवारण के लिए किए गए प्रयासों से हुई थी। पति को निरोग करने के लिए उन्होंने आठ दिनों तक सिद्धचक्र विधान मंडल की साधना की थी एवं तीर्थंकरों के अभिषेक जल के छीटें देकर रोग निवारण किया था। इसका जैन ग्रथों में भी उल्लेख मिलता है।

दशलक्षण धर्म की तरह ही अष्टांहिका पर्व का भी बहुत महत्व है, अत: जयपुर में भी विभिन्न कॉलोनियों के जिन मंदिरों में भी इस वर्ष सिद्धचक्र विधान का आयोजन 26/06/23 से 03/07/23 तक किया जा रहा है।

26/06/23 को सभी जैन मंदिरों में नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया जाएगा। इसी दौरान जैन साधु, साध्वियों द्वारा पांच माह के वर्षाकाल की स्थापना भी होने जा रही है।

सिद्धचक्र विधान मण्डल की महिमा

चम्पापुर के राजा अरिदमन और रानी कुन्दप्रभा के तेजस्वी पुत्र रत्न हुआ। उस बालक का नाम श्रीपाल रखा गया। कालांतर में श्रीपाल की प्रतिभा को देखकर राज्य संचालन का दायित्व सौंप दिया गया। राजकार्य में दत्तिचत, कामदेव के समान श्रीपाल को एवं अन्य 700 वीरों को अचानक एक साथ महाभयानक कुष्ठ रोग हो गया, जिससे इन लोगों का शरीर गलने लगा एवं खून बहने लगा। इन सभी की दशा देखकर प्रजाजन अत्यन्त क्षुब्ध एवं दु:खी रहते थे। जब रोग की दुर्गन्ध के कारण वातावरण बिगड़ने लगा, तब चाचा वीरदमन के कहने पर श्रीपाल 700 वीरों के साथ नगर से बहुत दूर उद्यान में जाकर निवास करने लगे।

उधर उज्जयनी नगरी के राजा पुहुपाल एवं रानी पद्मरानी के गर्भ से सुरसुन्दरी एवं मैनासुन्दरी नाम की दो पुत्रियों ने जन्म लिया। उनमें से सुरसुन्दरी शैव गुरु से एवं मैनासुन्दरी ने आर्यिका से धार्मिक अध्ययन किया था। पिता के पूछने पर सुरसुन्दरी ने अपनी स्वेच्छानुसार हरिवाहन से विवाह स्वीकार कर लिया, परन्तु मैनासुन्दरी ने कहा है कि कुलीन एवं शीलवती कन्यायें अपने मुख से किसी अभीष्ट वर की याचना कदापि नहीं करती है। मैनासुन्दरी की विद्वतापूर्ण वार्ता को सुनकर राजा पुहुपाल तिलमिला गये और उन्होंने क्रोध में आकर कोढ़ी राजा श्रीपाल से विवाह कर दिया। राजा श्रीपाल के कुष्ठ रोग को दूर करने के लिये मैनासुन्दरी ने गुरु के आशीर्वाद एवं विधि के अनुसार अष्टाहिनका पर्व में सिद्धचक्र महामण्डल विधान का आयोजन किया एवं अभिषेक गंधोदक का सभी रोगियों के ऊपर छिडकाव किया जिसके प्रभाव से श्रीपाल के साथ 700 वीरों का भी कुष्ठरोग ठीक हो गया था।

कुछ समय बाद श्री पाल मैनासुन्दरी के साथ चम्पापुरी वापस आ गये। एक दिन श्रीपाल अपने महल के छत पर बैठे हुये थे। आकाश में बिजली चमकी, जिसे देखकर उन्हें वैराग्य हो गया। वे अपने पुत्र धनपाल को राज्य सौंपकर वन की ओर चले गये। उनके साथ 8000 रानियाँ तथा माता कुन्दप्रभा भी वन को प्रस्थान कर गई।

श्रीपाल ने मुनीश्वर के पास जाकर जिनदीक्षा धारण कर ली। उनके साथ 700 वीरों ने भी दीक्षा ले ली, माता कुन्दप्रभा व अन्य रानियों ने भी आर्यिका के व्रत ग्रहण किये। श्रीपाल कठोर तपस्या करते हुए अल्पसमय में ही घातिया कर्मों को नष्ट कर केवलज्ञान प्राप्त किया और फिर शेष कर्मों को नष्टकर मोक्षधाम को प्राप्त हुये एवं मैना सुंदरी ने भी अगले भव में शिवधाम को अपनाया।

संकलन–भागचंद जैन मित्रपुरा,
अध्यक्ष अखिल भारतीय जैन बैंकर्स फोरम, जयपुर

80 वर्षीय वृद्धा ने प्रशासन से बंद रास्ता खुलवाने की मांग की

पाटन, (निसं)। उपखंड क्षेत्र के नजदीक ग्राम पंचायत माकड़ी के राजस्व ग्राम बणियाला नगर की ढाणी दीना काला में रजवन देवी उम्र 80 वर्ष स्वर्गीय गणेश राम यादव द्वारा अनुचित रुप से बंद किए गए रास्ते को खुलवाने के लिए तहसीलदार नीमकाथाना, उपखंड अधिकारी नीमकाथाना, अतिरिक्त जिला कलेक्टर नीमकाथाना एवं जिला कलेक्टर सीकर के कार्यालय में चक्कर लगाकर थक चुकी है परंतु कटानसुदा रास्ता जिस को अनुचित रूप से बंद कर दिया गया है प्रशासन उस रास्ते को खुलवा भी नहीं सका है।

जानकारी के अनुसार एक 80 वर्षीय वृद्ध महिला प्रशासन के आगे चक्कर लगा रही है और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। 40 वर्ष पहले स्वर्गीय गणेश राम यादव ने मकान बनाए थे। उस वक्त से खसरा नंबर 264/ 62 में प्रचलित रास्ता था तथा उसी में से आना जाना होता था, बाद में इस रास्ते को कटवा कर रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया गया। वृद्ध रजवन देवी का कहना है कि वर्तमान में इस रास्ते को बंद कर दिया गया है जिस कारण मेरे परिवार का आना-जाना भी बंद हो गया है। रजवंत देवी ने यह भी बताया कि पूर्व में भी धनसी राम सैनी एवं उसकी माताजी द्वारा हमें परेशान करने के लिए दो बार रास्ता बंद किया था जिसको प्रशासन द्वारा खुलवाया गया था। 10 जून से फिर इस रास्ते को अनुचित रूप से बंद कर दिया गया जिस कारण हमारा पूरा परिवार घर में ही कैद हो गया। वर्तमान में फसल जुताई का काम चल रहा है मजदूरी वास्ते ट्रैक्टर को भी बाहर ले जाना दूबर हो गया है। उम्र के हिसाब से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता जिसका फायदा ये लोग उठा रहे हैं और पक्की दीवार लगा लगा कर इस रास्ते को बंद करने में लगे हैं। इस बारे में प्रशासन के चक्कर लगा लगा कर मैं थक चुकी हूं परंतु प्रशासन द्वारा रास्ता चालू नहीं करवाया गया। मात्र फोरी कागजी कार्यवाही कर हमारे आंसू पोछने का काम किया जा रहा है।

पीड़ित वृद्ध महिला।

■ **रास्ते को बंद के कारण परिवार का आना-जाना भी बंद हुआ**

पुलिस का हाल तो यह है कि हम लोगों को ही डरा धमका कर भेज देते हैं तथा यह और कहते हैं कि आप ज्यादा चक्कर मत लगाओ अन्यथा झूठे मुकदमे लगा कर अंदर कर देंगे। रजवन देवी ने यह भी बताया कि अगर हमें यहां न्याय नहीं मिलता है तो हम न्याय के लिए मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और वहां पर भी न्याय नहीं मिला तो अदालत का दरवाजा खट खटाएंगे।

दलित की जमीन पर दबंगों का कब्जा, जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं

मसूदा, (निसं)। गरीब अनुसूचित जनजाति भील की जमीन पर कब्जा करने व मारने की धमकियां मिल रही है। इस संदर्भ में राजस्थान भील समाज के प्रदेश प्रतिनिधि सुरेश चंद भील के तत्वाधान में सोमवार को मसूदा उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया जिसमें बताया कि मसूदा के डांगेश्वर कॉलोनी में सजनी देवी पत्नी रूप लाल भील के नाम से मसूदा द्वितीय में खसरा संख्या 5365/4224 कि 10 बीघा भूमि खातेदारी में दर्द चली आ रही है। वर्णित भूमियों पर शांतिपूर्ण तरीके से मालिकाना हक अधिकार एवं कब्ज आकाश चला रहा है।

राजस्थान भील समाज के प्रदेश प्रतिनिधि के साथ लोगों ने मसूदा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया।

जिस पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है रहा है किंतु अब हमारी उपरोक्त भूमि में वीरेंद्र, मुकेश, भंवर लाल, मिश्रीलाल, कालू, सीताराम सहित 10-15 भूमाफियाओं की दबंगई देखने को मिल रही है। जहां खातेदारी जमीन पर जेसीबी चलाई गई। पीड़ित ने बताया कि इन लोगों द्वारा राजनीतिक दबदबा होने की वजह से हम अनुसूचित जनजाति की जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि समाज के कुछ लोगों ने रोकने का किया प्रयास लेकिन भूमाफियाओं ने उनके साथ मारपीट करना शुरू कर और जातिसूचक शब्द से अपमानित करने लगे। पीड़ित परिवार ने अतिकर्मियों के खिलाफ मसूदा थाने में मामला दर्ज करवाया लेकिन राजनीतिक दबदबा होने से कोई कार्रवाई नही हुई। जिसके चलते उपखंड अधिकारी भरत राज गुर्जर से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने एवं उक्त खातेदारी जमीन को अतिकर्मियों से मुक्त करने की गुहार लगाते हुए कहा कि मेरी भूमियों से बेदखल कर जबरन एवं नाजायत व दादागिरी से कब्जा कर लिया है तथा जेसीबी चलाकर डोल एवं ट्रैक्टर द्वारा हल तक चला दिए और कब्जा कर लिया है।

जबकि इन लोगों का मेरी भूमि से कोई लेना-देना वह संबंध सरोकार नहीं है। इसके बावजूद मुझे गरीब अनुसूचित जनजाति के परिवार के साथ यह लोग अत्याचार कर हमारी एकमात्र जीविका के स्रोत को हमसे छीन कर हमें बेघर करने पर आवाज हो रखे हैं तथा इन लोगों को ऐसा नहीं करने के कहने पर उल्टा यह लोग मेरे व मेरे परिवार के ऊपर आग बबूला होकर हमको गालियां जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया।

रेलवे समिति सदस्य ने आवास निर्माण कार्य का जायजा लिया

डीडवाना, (निसं)। डीडवाना में रेलवे विद्युतीकरण योजना के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण में अनियमितता और घटिया निर्माण सामग्री की शिकायतों के बाद आज उत्तर पश्चिम रेलवे की जेडआरयूसीसी समिति के सदस्य शंकरलाल परसावत मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण साइट पर मौजूद कंपनी के अधिकारियों और कार्मिकों से योजना की जानकारी प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों के संबंध में भी चर्चा की। परसावत में कार्मिकों को हिदायत दी कि निर्माण कार्यों में अनियमितता और घटिया सामठी का उपयोग से बचा जाए, ताकि गुणवत्तापूर्ण कार्य हो सके। उन्होंने कहा कि इस साइट से उन्हें जो जानकारी मिली है, उससे वह रेलवे के उच्चाधिकारियों को अवगत करवाएंगे तथा पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य की मांग करेंगे।

गौरतलब है कि डीडवाना रेलवे स्टेशन पर विद्युतीकरण परियोजना के तहत अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आवास का निर्माण कार्य चल रहा है। विद्युतीकरण कार्य का टेंडर टाटा इरकॉन को मिला है।

राशिफल मंगलवार 27 जून, 2023

पंडित अनिल शर्मा

आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2080, हस्त नक्षत्र दिन 2:43 तक, वारियान योग प्रात: 6:23 तक, बालव करण दिन 2:35 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 3:28 से तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-कर्क, बुध-मिथुन, गुरू-मेष, शुक्र-कर्क, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज रवियोग दिन 2:43 तक है। आज भडल्या नवमी है। गुप्त नवरात्रा समाप्त होंगे और श्री हरि जयन्ती है।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:04 से 10:47 तक, लाभ-अमृत 10:47 से 2:12 तक, शुभ 3:55 से 5:38 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 5:39, सूर्यास्त 7:20

मेष
परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृष
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में योजना बनेगी। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

कर्क
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

सिंह
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा। धन खर्च पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता से मनोबल बढ़ेगा।

तुला
आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धन हानि हो सकती है। अनावश्यक धन खर्च होगा। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

वृश्चिक
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। कानूनी मामलों से राहत मिल सकती है।

धनु
व्यावसायिक मामलों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मकर
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे और अनुबंध प्राप्त होंगे। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

कुंभ
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

मीन
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।